dk;kZy; iath;d
lgdkjh lLFkk,a] NRrhlx<

विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2020/4456 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 21.12.2020

प्रति,

1. **संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं,(समस्त)
   छत्तीसगढ,
2. **मुख्य कार्यापालन अधिकारी,**
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त)

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की भर्ती बाबत्।

संन्दर्भः–1. छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 15–26/2020/15–02, दिनॉक 07.11.2020.

2 कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सी.सी.बी/2018/643, दिनॉक 27.01.2018.

विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा जनहित में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन कृषकों तक कृषि साख व अन्य आदान की पहुंच सुलभ रूप से पहुंचाने हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। नवीन गठित समितियों के मध्य आस्तियॉ/दायित्व एवं सेवायुक्तों के विभाजन बाबत् भी समय–समय पर निर्देश जारी दिए हैं। छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 15–26/15–02/2020/2388, दिनॉक 07.11.2020 द्वारा जारी निर्देशों कर अवलोकन करें, पत्र की कडिका 03 पुनर्गठित समितियों के मध्य सेवायुक्तों के मध्य विभाजन के संबंध में है जो कि निम्ननुसार हैः–

1. सेवायुक्तों का विभाजन संबंधित समितियों के कार्य व्यवसाय के अनुपात में सेवायुक्तों से विकल्प लेकर किया जाएगा। अनुपातिक संख्या में विकल्प प्राप्त ना होने पर नवगठित समिति में अनुभवी सेवायुक्तों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान समिति के सेवायुक्तों को अस्थायी तौर पर किया जा सकेगा।
2. नव–गठित समितियों के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या प्राथमिक साख सहकारी समितियों के लिए जारी सेवा नियम के अनुसार ही होगी। विभाजन से प्राप्त कर्मचारियों के पश्चात् कमी होने पर धान खरीदी में के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

3. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार समिति प्रबंधक कैडर का पद है, जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पद पर किसी भी प्रकार से समिति स्तर पर भर्ती की कार्यवाही ना की जायें।
4. सहकारी समितियों में पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। अतः पूर्ववर्ती सहकारी समितियों में सभी प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी।
5. स्हकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार सभी सहकारी समितियों के सेवायुक्तों की पूर्ण एवं सही जानकारी संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक एवं जिला सहकारी बैंक मुख्यालय/नोडल/कार्यालय/अपेक्स बैंक (रायगढ–जशपुर जिले के लिए) स्तर पर अनिवार्यतः संधारित की जावें।

संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि, पेशेवर दृष्टिकोण के विकास, सेवायुक्तों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने, स्थापना व्यय को युक्तिसंगत रखने हेतु नियत मापदण्डो के भीतर रखते हुए सोसाइटियों के सेवायुक्तों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा प्रदेश स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्मिक व्यवस्था में एकरूपता लाने हेतु आदर्श सेवा नियम विरचित कर सोसाइटियों द्वारा अंगीकृत करने बाबत् निर्देश सर्वसंबंधितों को दिए गये है। जिसमें समितियेां की व्यवसाय के अनुक्रम में वर्गीकरण करते हुए सेवायुक्तों की सख्या का निर्धारण भर्ती हेतु योग्यता/पात्रता/कार्मिको बाबत् पदवार निश्चित वेतनभत्तें तथा चयन समिति एवं अन्य भर्ती की प्रक्रिया बाबत् प्रावधान किए गए है।

वर्तमान में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना/शिकायतों से यह तथ्य परिलक्षित हो रहा है कि पूर्ववर्ती एवं नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशो का उल्लंघन कर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है जिसका संबंधित संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा भी अनुमति या अनुमोदन किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। निर्देशो के विपरीत की गई नियुक्तियां अनियमित एवं अपत्तिजनक होने के साथ ही उसमें दी गई अनुमति/अनुमोदन तथा पृष्टि भी अनुचित है। वर्तमान में छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के तहत सेवा नियमों में सुधार करते हुए समितियों की कार्मिक व्यवस्था को पेशेवर, कुशल एवं दक्ष बनाये जाने हेतु सेवा नियम संशोधन का प्रस्ताव देने बाबत् कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए पूर्ववर्ती समितियों में सभी प्रकार की भर्ती को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए नवगठित समितियों में पूर्ववर्ती समितियों से विभाजन पश्चात् प्राप्त कर्मचारियों के बाद भी कर्मचारियों की कमी होने पर धान खरीदी के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी व्यस्था के तहत कार्मिक व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन के संदर्भित परिपत्र तथा पंजीयक द्वारा जारी सेवानियमों का पालन करते हुए ही वर्तमान आवश्यकता अनुसार कार्मिक की अस्थायी व्यवस्था नवीन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किया जावें तथा पूर्ववर्ती समितियों में कोंई भी भर्ती की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त नही किया जावें। यदि इन निर्देशो के पश्चात् भी पूर्ववर्ती/नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में भर्ती/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक तथा संबद्ध बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित समितियों के अधिकारी/पदाधिकारी के विरूद्ध छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 एवं पंजीकृत उपविधियों के तहत वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक/साख/सर्कुलर/2020/4456 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनॉक 21/12/2020

प्रातिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैक मर्यादित, रायपुर।
3. अध्यक्ष/प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित............................।
   की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ